::कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–उज्जैन::

क्रमांक/ए.डी.एम./रीडर/शिक्षा/2024/207 उज्जैन, दिनांक :– 3 अप्रेल 2024

–:: आदेश ::–

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक/550/744/2018/20–3, भोपाल, दिनांक 01.04.2024 के अनुसार अनुसार कतिपय स्कूल प्रबंधन एवं प्राचार्य द्वारा एनसीआरटी/एसीईआरटी से संबंधित पुस्तकों के साथ अन्य प्रकाशकों की अधिक मूल्य की पुस्तकें एवं अन्य सामग्री कय करने हेतु पालकों पर अनुचित दबाव बनाया जाकर विषयवार एनसीईआरटी / सीबीएसई/एससीईआरटी मुद्रित व निर्धारित पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर अन्य प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों को चयन कर अभिभावक को दुकान विशेष/निर्धारित स्थान से पाठ्य पुस्तकों व अन्य शैक्षिक सामग्री यूनिफार्म क्रय करने हेतु अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य किया जा रहा है।

इस संबंध में म.प्र. निजी विद्यालय(फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियम) अधिनियम 2017 की धारा 6 (संबंधित विषय ऐसी रीति में विनियमित किए जाएंगे जैसी कि विहित की जाए.) एवं धारा 9 (फीस की वृद्धि और संबंधित विषयों के बारे में शिकायतों का निपटारा) तथा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 6 एवं 9 को के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। म. प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों विनियमन) नियम 2020 के नियम 6(1) (घ) निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावकों को पुस्तकें, यूनिफार्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से कय करने के लिए औपचारिक अथवा अनौपचारिक, किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जाएगा। छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से कय करने के लिये स्वतंत्र होगे।

विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सुझावों से मुझे यह समाधान हो गया है कि उज्जैन शहर एवं जिले के निजी स्कूलों द्वारा की जा रही एकाधिकारी प्रवृत्ति से लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध न हो तथा इसका निवारण अत्यन्त वांछनीय होने से, इसे रोकने हेतु कार्यवाही की जाना आवश्यक प्रतीत होता है, साथ ही विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुझे यह भी समाधान हो गया है कि चूँकि अधिकांश निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रकिया प्रारंभ हो गयी है। अतः विनियमन की कार्यवाही तत्काल की जाना आवश्यक है।

अतः मैं नीरज कुमार सिंह, जिला दण्डाधिकारी, जिला–उज्जैन दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा–144(1) (2) के तहत स्कूल संचालकों, प्रकाशकों एवं विक्रेताओं के एकाधिकार को समाप्त करने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी करता हूँ:–

1. स्कूल संचालक प्राचार्य स्कूल में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिये अनिवार्य पुस्तकों की सूची विद्यालय के परीक्षा परिणाम के पूर्व अपने स्कूल की वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेगें एवं अपने स्कूल परिसर में सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करेगें। मान्यता नियमों के अतर्गत वेबसाईट होना अनिवार्य है। साथ ही पुस्तकों की सूची की एक प्रति प्रवेशित अभिभावकों को प्रवेश के समय एवं परीक्षा परिणाम के समय तक उपलब्ध करायेगे।
2. स्कूल संचालक/प्राचार्य विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों को सूचीबद्ध पुस्तकें, परिणाम अथवा उसके पूर्व कय किये जाने हेतु बाध्य नहीं करेगें अभिभावक पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर 15 जून 2024 तक कय कर सकेगें। ऐसी स्थिति में अप्रैल माह में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र प्रथम तीस दिवस की अवधि 01 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक के मध्य का उपयोग विद्यार्थियों के ओरिएंटेशन, व्यावहारिक व मनोवैज्ञानिक पद्धति से शिक्षण में किया जा सकता है।
3. स्कूल संचालक जिस नियामक बोर्ड यथा सी.बी.एस.ई/आई.सी.एस.ई./माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्ध है, उस संस्था के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियामक संस्था अथवा उसके द्वारा विधिक रूप से अधिकृत ऐजेंसी यथा–एनसीईआरटी पाठ्यक पुस्तक निगम आदि के द्वारा

–2–

प्रकाशित एवं मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों को विद्यालय में अध्यापन हेतु प्रतिबंधित करेंगे।

4. स्कूल संचालक सुनिश्चित करेगें कि उक्त के अतिरिक्त अन्य विषयों जैसे नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर आदि की प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा ।
5. स्कूल संचालक द्वारा विद्यार्थियों/अभिभावकों को पुस्तकें, कापियॉं, संपूर्ण यूनिफार्म आदि संबंधित स्कूल/संस्था अथवा किसी भी एक दुकान/विक्रेता/संस्था विशेष से क्रय किये जाने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा।
6. स्कूल संचालक पालक शिक्षक संघ(PTM) अथवा अन्य अवसरों पर सुनिश्चित करेगें कि निजी प्रकाशक/ मुद्रक/विक्रेता स्कूल परिसर के भीतर प्रचार–प्रसार हेतु किसी भी स्थिति में प्रवेश नही करेंगे।
7. स्कूल संचालक/विक्रेता द्वारा पुस्तकों के सेट की कीमत बढाने हेतु अनावश्यक सामग्री जो निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, का समावेश सेट में नहीं किया जायेगा। कोई भी विक्रेता किसी भी कक्षा के पूरे सेट को क्रय करने की बाध्यता नहीं रखेगा। यदि किसी विद्यार्थी के पास पुरानी किताबें उपलब्ध हो तो उसके केवल उसकी आवश्यकता की पुस्तकें को ही विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
8. नोट बुक(कॉपी) पर ग्रेड, किस्म, साईज, मूल्य, पेज की संख्या आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए।
9. कोई भी विद्यालय अधिकतम दो से अधिक यूनिफार्म निर्धारित नहीं कर सकेगें ब्लेजर इसके अतिरिक्त होगा, विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्कूल यूनिफार्म का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि कम से कम 03 सत्र तक उसमें परिवर्तन नहीं हो। विद्यालय प्रशासन द्वारा वार्षिकोत्सव अथवा अन्य किसी आयोजन पर किसी भी प्रकार की वेशभूषा को विद्यार्थियों/पालकों को क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा।
10. जिन विषयों के संबंध में नियामक संस्था के द्वारा कोई पुस्तक प्रकाशित/मुद्रित नहीं की गई है उस विषय से संबंधित किसी अन्य पुस्तक को अनुशंसित करने के पूर्व स्कूल संचालक सुनिश्चित करेगें कि उक्त पुस्तक की पाठ्यसामग्री ऐसी आपत्तिजनक नहीं हो जिससे लोक प्रशांति भंग होने की संभावना हो।

चूँकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता को संबोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/आवेदन दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144(5) के तहत मुझे प्रस्तुत कर सकेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा इसका उल्लघंन करने वाले व्यक्ति/संस्था /आयोजक के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रकिया की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी विद्यालय द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना किये जाने पर शाला के प्राचार्य/संचालक के साथ ही शाला प्रबंधक/बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समस्त सदस्य भी दोषी होगें । आमजन इस आदेश का उल्लंघन होने संबंधी शिकायत कमाण्ड कंट्रोल रूम के **दूरभाष क्रमांक 0734 2520711** पर कर सकेंगे।

यह आदेश उज्जैन जिले की राजस्व क्षैत्र में दिनांक 03/04/2024 से लागू रहेगा। जिले के समस्त विद्यालय अपने नोटिस बोर्ड पर उक्त सूचना चस्पा करे। विद्यालय के प्राचार्य उक्त आदेशों की जानकारी प्रबंधक की प्रथम बैठक में सविस्तार रखना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 03/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–उज्जैन

पृष्ठाकंन क्रमांक / ए.डी.एम. / रीडर / शिक्षा / 2024 / 208 उज्जैन, दिनांक :– 3 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
2. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन झोन उज्जैन ।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला–उज्जैन।
5. अपर कलेक्टर, जिला–उज्जैन।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर / देहात, जिला– उज्जैन ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उज्जैन।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उज्जैन शहर / कोठी महल / उज्जैन ग्रामीण / घटिटया / तराना / बडनगर / महिदपुर / खाचरौद / नागदा ।
9. नगर पुलिस अधीक्षक, कोतवाली / माधवनगर / नीलगंगा / जीवाजीगंज / नागदा।
10. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) / बडनगर / महिदपुर / तराना / खाचरौद ।
11. थाना प्रभारी.....जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। उक्त आदेश का विस्तृत प्रचार प्रसार लाउड स्पीकर से करवाने एवं प्रमख स्थानों पर चस्पा हेतु अग्रेषित।
12. उप संचालक जनसंपर्क उज्जैन की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
13. प्रभारी अधिकारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष उज्जैन ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–उज्जैन